

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Kindly permit me. I would like to know...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): On which matter are you speaking? The House has given him permission to withdraw the Resolution.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: What are the steps they have taken? Have they resulted in the reduction of cotton yarn prices? And what are the steps they propose to take to help the handloom weavers in distress?

...(Interruptions)...

RESOLUTION RE. MEASURES TO TACKLE INCREASING CRIMES IN THE COUNTRY, PARTICULARLY AGAINST WOMEN

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House expresses its deep concern over the—

(i) increasing incidents of rape, molestation, abduction, kidnapping and atrocities being committed on women in various parts of the country and even in the police custody;

(ii) illegal detention and torture by the police which has become a way of life;

(iii) failure of Governmental machinery, coupled with judicial delays to protect the life, honour, self-respect and dignity of women in the country; and

with a view to improving the status of women, safeguarding their honour and dignity in the country, this House urges upon Government to take immediate steps to revamp the police and legal machinery to ensure that—

(a) our laws respect the principle of equality,

(b) our laws are written in the local languages of the people;

(c) they assume the responsibility for informing the citizens of their basic rights;

(d) our laws are made sensitive to the specificities of the local situation;

(e) most of the cases are decided locally so that people, especially women are saved from expensive commuting to seek redressal;

(f) every case is decided within a period of six months because justice delayed is justice denied;

(g) judges become intimately familiar with local customs and usages;

(h) police administration is reoriented and reorganised so that the police help the victims of atrocities and do not continue to be perpetrators;

(i) the persons involved and the police officials found guilty are given exemplary punishment;

(j) victims of atrocities and torture, etc. at the hands of police and other are adequately compensated; and

(k) women organisations and women Members of Legislatures are closely associated in making and implementing the laws relating to women."

During the last two years at least in this very House there were eight questions of mine on this very subject. The hon. Minister has given a lot of data. I am going to look at some specific points arising out of these. There is a rape every eighteen hours, molestation of women every seventeen hours and eve-teasing every four hours. This is the ugly face of Delhi, the crime capital of India. But, these are only the reported cases. Delhi has been described even in a newspaper article as "the sex-crime capital of India." These are based only

on recorded cases, Delhi was so described in the "SUNDAY OBSERVER" of January 9-15, 1994.

In reply to a question of mine, Mr. Sayeed replied that in the capital there were about 7,000 cases of criminality against women, including 631 rape cases which were reported during the last three years, according to the report available, with the National Crime Records Bureau.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): Are you disputing that?

SHRI VIREN J. SHAH: Are you going to reply later? I am not disputing it, Mr. Sayeed. I am sure, you realise that this is a matter of grave importance. It is not a political question, it concerns the humanity of every human being, be he a Member of Parliament on one side or the other or somebody else. I am sure, you are going to give equal importance. I am mentioning that this is the reply given by you. I am quoting the Minister of State for Home. My submission was that these were the reported cases. I am not disputing it. There are many unreported cases, quite large in number.

The Supreme Court is also seized of several incidents. The Supreme Court has recently made a very strong indictment. I am not going to refer to those matters which are still *sub judice*.

I am just going to refer to a very few newspaper reports, as examples. I again say that out of 100 cases, may be five or ten cases or even less, are reported. I am talking of them at the All-India level.

The "INDIAN EXPRESS" of the 24th April, 1994 reports a distressing case of violence against a woman. This is something on which every Indian should have hanged his head in shame. A young woman was raped. The rapist did not stop at that. He blinded her, cut off her tongue and hands. The purpose was

not mere sadism but also so that she could not, in any way, give evidence or identify him. Without sight she could not read his name if it was put in front of her without her hands there was no way to write, without a tongue, no way to speak. There was the problem of evidence before the court. This is the situation.

In the "INDIAN EXPRESS" of the 1st of May, 1994, there is a case. The article is entitled "Unknown father of all crime..." I am not going into it. The 22nd April 1994 *Indian Express* reported that an Australian woman was kidnapped in a moving car on the outer circle of the Connaught Circle. Here I want to say something. The Governments of India and Japan have appointed a India-Japan Study Committee of which I am a member for the last five, six years. Mr. Manmohan Singh was the Chairman earlier and many others were there. The Chairman of the Japan Committee is a former Prime Minister of Japan. We had a meeting recently, talking about development of tourism. The Japanese side mentioned that tourism could be encouraged not just by providing infrastructure but by providing security and safety of the tourists. They cited the cases of the Japanese tourist women in Delhi being harassed. This is an example only. There is another case. The Pioneer of 24th April reported the case of a Banwari woman. A Banwari woman, who was raped, went to a police station. The SHO asked her for medical report. She went to the primary health centre where she was asked to go to Jaipur. At the main hospital, she was asked to produce an order of the Magistrate before she could be medically examined. Why I am saying all this is to point out the importance of this so that we can find a solution. There is no mere finding fault right now. She went to the Magistrate. After two days, a test was done. But the Deputy Superintendent of Police refused to register a case of rape.

Then, there is a case of detention and torture of a woman in the police custody. The 28th April, 1994 issue of The

Hindustan Times reported this. I am giving you only the recent cases. In this case, the woman said that cops raped her in Delhi. *The Observer* of 4th May, 1994 reported a case of the Government's apathy towards two rape victims and the delayed action against the policemen, allegedly involved in an incident at Jabalpur in this, some policemen were involved and this is the apathy. *The Indian Express* reported a case, which was being probed by CBI, of a woman petitioner whose forehead was tattooed by the Amritsar police in December, 1993. Also there is a reported case in which 15 female non-criminal lunatics, who were kept in a jail for a long time, were ordered to be released from the Presidency Jail by the Calcutta High Court. They were kept there for the last many years. There are a large number of such unfortunate women languishing in the jails in various parts of the country. In the year 1974—the International Year of Women, I took up certain cases and wrote to 100 prominent women in the country about specific cases which took place in Bengal on women in the age group of 14-64 years. Newspapers had reported specific names of guilty police officers of inhuman tortures. We have hardly moved in that direction. We are now in 1994. But we are no better off today than what we were at that time. So, judicial intervention, for the last two years, resulted in the release of some of them—107 in the case of the Presidency Jail. But they find themselves in a great difficulty. There is an editorial in the *National Herald* of 12th March, 1994 to which I want to refer. It is titled as 'Capital punishment'. "The heart-rending experience of a 13-year-old girl...

.. (अवधान) बलराम जाखड़ जी, मैं आपको अर्ज करूंगा यह मिनिस्टर को सुनने दें। मिनिस्टर साहब नहीं सुनेंगे तो ... (अवधान)

श्री पी. एम. सईद : मैं सुन रहा

श्री विरेन जे. शाह : कैसे सुन रहे हैं जब बीच में बोल रहे हैं।

"The heart-rending experience of a 13-year-old girl at the hands of two criminals and, even more reprehensible and condemnable, the police of Samalkha town..." was one of the cases to come up before the court. The police wanted her to withdraw the case against the rapists. The editorial says—it applies to all of us just now—"It is not enough to be shocked by these statistics..." When these issues come up, all of us raise them in both the Houses of Parliament... Nor is it enough for the authorities to say they are seized of the problem, as they periodically say..." But I am sure that this time, the Home Minister, in his reply, is not going to say that.

THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): How do you presume that?

SHRI VIREN J. SHAH: I presume because I credit him with some sensitivity. That is why I presume that he will not say that. If he does say, I have to feel very sorry. And if you presume that he is going to say that, then it speaks volumes for you and home Minister. The *Times of India* of 8th March talked about the curse of being born as a female, particularly in a Dalit family in view of the cases of stripping of a Dalit woman in UP and the tattooing of four women by the Punjab police. Then, there is an editorial in the *Tribune* on 10th March, 1994 about the plight of the Nirmalas. I have mentioned this because these are specific cases. I quote:

"Amidst the euphoria surrounding International Women's Day (March 8) comes the harrowing tale of Nirmala, a 13-year-old girl working in a Delhi household. She was being branded with a hair-dryer, beaten with iron rods and rolling pins etc.,

And rolling pins etc. Yes very little action has been taken. Now what is the result of this? This is something.

[Shri Viren J. Shah]

Mr. Vice-Chairman, we should take care of. For the first time, on the 20th April, 1994, the Supreme Court has given a ruling that attempt to commit suicide is not a crime. Until now when a person attempted to commit suicide, it was considered as a crime. Why did the Supreme Court give this decision? What was the case? The case was of a woman who was raped, insulted and humiliated and she felt that she would have to face the ignominy of undergoing an open trial in the court of the sexual violence committed on her which earlier might have been known only to a few would, and which would become widely known now and then she made an attempt to commit suicide. She was charged. The honourable Supreme Court acquitted her and laid down, "When such a woman attempts to commit suicide, it cannot be considered as a crime." The crime in such a case is to prosecute her and give the punishment.

I have today's 'The Times of India' newspaper. It has been reported in the front page—I am going to read only two lines—"The Delhi High Court has summoned the city police and ordered medical examination of a woman who has alleged that she had been repeatedly tortured by some men... with the active connivance of the city police." The matter is sub-judice. I am not going to talk about it. But this is what has been reported in today's newspaper. As I said earlier, thousands of cases go unreported on account of two factors. One relates to the poor people. They do not go to the police station to make a complaint because they are afraid as to what would happen to them. I am going to cite a specific example known to me personally in one of the police stations located in the best locality of Bombay wherein a woman bank officer went to lodge an F.I.R. about a minor car accident. The police took no action. I had to intervene

personally. She happened to be my niece. I know about that case personally. The police officer had refused to write a complaint. He was demanding some money. This police station covers residences of the Governor, the Chief Minister, Ministers and others. If it could happen in such a place, you can imagine the situation in jhuggis and jhopris and small villages. What would happen to the poor women? That is why I have submitted that thousands of cases go unreported. Similarly, a very large number of torture cases and dowry deaths go unreported.

Recently the honourable Minister, Mr. Sayeed has given a reply in Parliament regarding officially reported cases of dowry deaths during the year 1993. We are all aware of the fact that many go unreported. The number of cases of dowry deaths reported during the year 1993 in Uttar Pradesh was 1,952, in Maharashtra 746 Andhra Pradesh 575 and Delhi 107. Let us consider why such atrocities including those by the police occur and what should be the solution. Merely getting excited does not lead us anywhere. We must go into it and find out why this happens. I do not want to condemn the policemen and the police force as a whole. I certainly condemn the action. But no one should condemn the entire police force because that is not right. We cannot run the country. So, why does it happen? To my mind, it happens because of apathy at various levels. We can also see that in this House or in the Press which do not show interest in reporting a matter like this. If there is a sensational matter, the House would be full, the Press gallery would be full and the newspaper would be full. But atrocities on women get no importance. For the first time a discussion is coming up on atrocities against women. There is apathy at the decision making level also. There is apathy at the level of senior officers also. There is

apathy at the level of Members of Parliament, Members of Legislature also. For a moment we get excited. Sometimes policemen are away or a long time from their families and this also leads to their just getting better over their senses. It is universal. It happens all over the world. There is a psychological approach towards women. How do men look at women? As a sex object as chattel, as something available to satisfy their lust. We cannot deny certain realities. In India, particularly, what is happening is, there is refusal by police to register complaints. The police does not observe the legal processes including the Supreme Court directive. I will take two minutes to give an example.

I want to talk about the case of my own niece, sister's daughter-in-law. She went to register a case along with another female officer of the bank at 4.30 p.m. in the police station at Ganderi which is a posh area in Bombay. A scooter touched her car and the scootérist fell down. Nothing happened. They went to the police station. The Sub-Inspector, on his own, said, "Oh, that man is very much injured. You must pay Rs. 50,000/- and settle the matter." She said, "Why?". He said, "Do not let this woman go out. I am going there and coming back." She rang up my office. I happened to be there. Immediately. I requested someone to talk to the Asstt. Commissioner of Police and a complain was registered. When they were leaving the compound, this man was coming back. He stopped them and asked, "How can you go?". Ultimately, he rang up that evening at 8.15 p.m.. By that time, I had communicated it to the Commissioner of Police in writing. At 8.15, he talked to my sister and asked her to compromise and asked her to send my niece immediately to the police station even though it was late at night. He threatened that otherwise she would have to go to the court every

day and she would lose her job. I again rang up the Commissioner of Police. There is a clear Supreme Court directive that no woman can be called to a police station after dusk and no woman can be kept in a police station after sun-set, without an order from the Magistrate. And, this is happening in the city of Bombay in the most posh area! One shudders to think what happens in the rest of India. Again pressure was brought. They registered the complaint against the Sub-Inspector to the Commissioner, to the Government and the Chief Minister and yet, the matter could not proceed because senior officers, finally, exonerated the Sub-Inspector. My niece had to go through that case or three years after which it was found that there was no case against her. This is our system and that is why people yield to all these things.

There is shielding of the culprits by the police, by the higher-ups. Police officers protect their own people. And there is a slow and painful judicial process, including the easy availability of bail. The rape case may go on attending courts for 10 years. The culprit may get bail. And nowhere evidence could be produced after 10 years. A woman cannot go on. The National Commission for Women and several other organisations had made an in-depth study and made many recommendations. There is a Law Commission report which Justice D.A. Desai submitted 10 years back. I would urge upon the hon. Home Minister and the hon. Minister of State for Home to look into the archives. There is this ten-year old Law Commission report, accepted but not acted upon. What is going on? Why is it not acted upon? I have known the hon. Minister of State for many years. We went to the Lok Sabha together in 1967. He has the sensitivity not just to look into it, but to do something about it. We have data about what could be done. In my own

[Shri Viren J. Shah]

Resolution, I have given certain suggestions. There are the recommendations of the National Commission for Women and the Law Commission. The need is to implement them and implement them quickly. The need is to act and act now, not just to give assurances that action would be taken. If you go through the last six years speeches, you will find Ministers' assurances, whichever party might have been in power. If you relate them to action taken, it is a matter of great sorrow, sadness. In the other areas you might not be taking decisions in time. But, here, this is a question of humanity. Women who are the most vulnerable are being persecuted. So, my suggestions would be. Firstly, implement quickly. Secondly, the Government should not delay action. It is the same thing. Thirdly, we must widely disseminate to individuals the rights of individuals, whether they are complainants or people taken into police custody. Both have rights given under the laws and those given by the Supreme Court. They should be given proper information through the Doordarshan and AIR that our laws are written in all the languages. Today, all over India, the people are watching Doordarshan programmes and listening to AIR. Even the people living in *jhuggis* in small towns are watching these programmes. In all the languages it should be told that women have such and such rights; the so-called accused have these rights; the police cannot do the following and so on. If it is made known, the situation might improve.

Then, the Law Commission has suggested, among other things, to set up Nyaya Panchayat. I suggest that Nyaya Panchayats with effective power should be set up in every tehsil so that the people do not have to go to the district court on the sessions court which is far away from the district headquarters.

There are many suggestions made by the National Commission for Women. I would mention only a few of them. The NWC has suggested that major changes should be made, amendments should be made in the following laws: the Dowry Prohibition Act, 1961 the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Indian Evidence Act and the Commission on Sati Prevention Act. But all the suggestions of the National Commission for Women and its specific reports are stacked somewhere in the Government. Now they send them to the Ministry of Human Resource Development because that is the administrative Ministry. Between the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Law, it will again take a lot of time because the law has to be changed. Two years have passed. No one knows what the status of this Report is. Would the hon. Minister kindly find out and inform the House as to where those particular suggestions are right now held up and what steps you are taking to see that things move much faster? After the Human Resource Development Ministry, they will go to the Home Ministry. They will take their own time in drafting it. Then the Ministry of Law, as usual, will sit on it as long as they like. Could the Minister of State for Home, as a human being, see to it that things move much faster and then, consider bringing all crimes against women under one law? That was also a suggestion. Bring all crimes against women under one law. Clear written directives with do's and don'ts' should be given to every police station in their own language and also in English so that people can read them. Directives should also be given for not calling women to police stations after sunset. not keeping women in police custody after it becomes dark without proper magisterial orders and permitting the person brought to the police station to inform his or her relative,

friend or lawyer it is the Supreme Court order or directive. Sir, the Commissioner of Police of Delhi or the Joint Commissioner of Police said that they were not clear whether this is binding or not. Mr. Vice-Chairman, it is amazing to find the Joint Commissioner of Police saying this about the Supreme Court, and because of a Secretary of the Government of India and his son being beaten up, this got publicity. Then only action was taken. But what would happen if an ordinary person who is driving a car or a cycle is beaten up or if a rickshawala is beaten up? No news, no action. It happens every day. Law is supposed to be the same for all.

My last suggestion is that more powers should be given to the National Commission for Women. Today their powers are very limited. They may be given more powers to direct the police for registering cases. Power should be given to the National Commission for Women for directing the police to register a case and proceed. Today they do not have the power to direct the police to register a case and proceed. Similarly, a State Commission for Women should be set up in every State with adequate and effective powers. A designated authority like police Ombudsman, whatever you like to call it, should be set up to register complaints against the policemen for acts of misconduct, etc. I don't find any way to lodge a complaint against a member of the police who refuse to do this without my writing to the Police Commissioner or taking it up with the Governor or the State Chief Minister. There was no way to register a complaint or an FIR. So, I am suggesting the setting up of an independent designated authority like a police Ombudsman with the power to register a complaint against a policeman for his misconduct of various kinds.

Then I want only to say about the social consequences. What happens

when justice is being denied? The people take law into their own hands to defend themselves. The most classic case is there in the latest issue of THE WEEK magazine, which is dated May 8, 1994. It is the day after tomorrow. That has come today. It carries a big article "ARMS AND THE WOMEN". The Delit Sena in Bihar teaches women how to use guns and make bombs. Detailed photographs are given there. The women are given training on how to use guns. I personally support this. When the authorities and the staff and the Government fail to protect women, women take law into their own hands to defend themselves. I am supporting it. It may be considered illegal. It may be considered criminal. But it is much less criminal and much less illegal than what is happening at the hands of the police and others in the States. I will read only one sentence which a woman trainee says, "We do not want to be dependent on the police as they always side with the oppressors. I have prepared the women of my village to participate in the training camp." It goes on in great details.

Mr. Vice-Chairman, in the end may I submit that it is for the Members of Parliament to take up this issue very seriously? There should be no party consideration. This should not be considered from any political angle. It is for the Members of Parliament as guardians, as elected representatives of the people of India, to safeguard the Constitution and the people. It is for the Members of Parliament to take up this issue very seriously and to see to it that suitable and early action is taken by the Governments, both Central and State. I am going to repeat it for the benefit of Miss Selja. It is for the Members of Parliament to take up this issue very seriously and to see to it that suitable and early action is taken by the Governments, both Central and State, to bring to an

[Shri Viren J. Shah]

end to these shameful and inhuman acts against women. I appeal to the Minister to formulate a time-bound programme of action. The Resolution of mine is comprehensive enough to provide guidelines, apart from the National Commission for Women's Report, the Law Commissions' Report and several other voluntary agencies' reports.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shrimati Vyjayantimala Bai. Do you want to speak from the front side? Then you please come to the front and speak.

SHRIMATI VYJAYATIMALA BALI (Nominated): Sir, I am happy to be in this august House and to make my maiden speech. I support the Resolution moved by Shri Viren J. Shah which relates to the atrocities committed on women in the various parts of the country. I am glad that Mr. Shah, despite being a male, has moved this Resolution and I appreciate his deep understanding of the problems of women. Sir, when we go through the pages of the history of ancient India, we find that women had always been held in high esteem. Their ability to bring up a family, society or a country had been well recognised. The various feminine forms of the Almighty like 'Shakti', 'Kali', 'Lakshmi', 'Vidya', etc. depict the sacred place given to women in this country. 'Ma' or 'mother' has been regarded as God in human form. Unfortunately, in spite of the glory attached to women in our society from time immemorial, of late, there has been a decline in the respect enjoyed by women. What do we attribute this to? Is it due to the traditional economic dependence of woman on man? Or is it because of her comparatively weak physique? Or is it owing to the degradation of

moral values in our society as a whole which, in turn, is a consequence of the reduction in the standards of moral education in our schools? Well, it seems to be the cumulative effect of all these factors. It is the male superiority, male domination, that makes women the target of evil thinking. Women are the victims of society. They become commodities because society views them that way. There are feminist organisations and crusaders fighting relentlessly and untiringly against such horrifying, inhuman atrocities that women are subjected to. Where do we begin and how do we end this savage human behaviour? The condition of the common women is pathetic now. Should we continue with the ugly incidents of dowry-deaths, bride burning, individual rape, gang-rape, female infanticide, eve-teasing, and problems of unequal wages and female illiteracy, occurring all the over the country, happening all the time, increasingly? Is it because Manu had said, "Woman is as foul as falsehood itself"? Is it because the Shankaracharya of Puri objected to a woman reciting the Vedas? Ironically, the Manu Smriti also mentions of "the Gods residing where women are worshipped". Is it a fallacy today? Even today, the *Hindustan Times* carries a news item of self-immolation by a 27-year old mother in Sion, Bombay. Mrs. Arvind Kaur has burnt herself and her six-month old child to death. The alleged torture by her husband and in-laws for dowry is the cause. This is gathered from her dying declaration. There is another news item about the Madhya Pradesh Government offering compensation twice for a girl raped twice! Has a government the Madhya Pradesh Government, fixed rates of compensation for those unfortunate women who undergo the agony and embarrassment of rape by anti-socials? The report says that a Minister of the Government announced that normally the payment was Rs. 10,000/-, but because the girl was raped twice, she would get Rs. 20,000/-

Isn't it ironical? What happens if she was raped more than that? Is she going to be compensated all the more for the humiliation and agony that she goes through? How do they equate the agony that a woman undergoes with monetary compensation? (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): That is why Lauretta Bobbitts are born.

SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: I can cite another example of rape of an unfortunate woman and her death in the police lock-up. This happened in the case of Smt. Vasanthamma when she was detained on 22-3-94 at Muthandikuppam Police Station in the Vallalar District of Tamil Nadu. The culprits have not been arrested till now. Here I would like to ask: Why do these... (*Interruptions*)...

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): It was because a lady is the Chief Minister of Tamil Nadu.

SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: I beg your pardon.

SHRI J. S. RAJU: It was because a lady is the Chief Minister of Tamil Nadu. That is why, the culprits were not arrested... (*Interruptions*)...

SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: This incident happened in my own State... (*Interruptions*)... It is happening all over the country. It is a shame and disgrace to our country. Here I would like to ask: Why do these incidents occur? Apart from the deficiency on the part of the law enforcing agencies—the so-called law enforcing agencies. I repeat—I also see a terrible degradation in the adherence to moral values in the society. Some politicians, in the pursuit of short-cuts to power, indulge in dirty politics, involving casteism, fundamentalism of all kinds, rowdyism, fanaticism and all other

anti-social 'isms'. If there are any 'isms' left, they are bound to come up. This certainly affects the mind-frame of the youth which is young and impressionable. This, to my mind, has played a very important role in our youth throwing to the winds what we have been considering 'social values'.

Coming back to the particular aspect of atrocities, I want to lay stress on two areas. One is the area of employment. In spite of the policy of the State that there should be no discrimination on the ground of sex, we see a lot of discrimination, especially on the rural side. In the villages, women labourers get only half the remuneration paid to men labourers, for the same type of work. Something should be done on a war-footing to remove this discrimination.

The second area is one which has not been touched by many. That is the area of family planning. Even here, women are the target of harassment. Almost all the family welfare activities, family planning activities, aim at women. It is a fact known to all of us that the woman is not the person who decides the size of the family or how many children does she have. It is most unfortunate that a woman has no say in this matter. Invariably, it is the man who decides. But the target of family planning is women. And the worst part of it is, even the research in this particular field has women in mind. Take, for example, Copper-D or Mala-D. The target group is women. Almost all the new invasive medical procedures for family planning target women. Here, women are treated as guinea-pigs and are subjected to experiments. I would request the hon. Minister to see if a change in the direction of research could be effected so as to make the male members subjects of such experiments.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Norplants for males.

SHRIMATI VYJAYANTIMALA BALI: Why not? It is a very good idea. I thank you. Let us fight for that. I do agree with Mr. Viren J. Shah that our laws should be made sensitive to the specificities of the local situation. A woman wronged cannot speak out to the same extent as a man wronged. There are certain social stigmas which get attached to a woman who speaks out on such occasions. This factor should always be borne in mind in the implementation of any law concerning women.

Also, the society has to put an end to them. Stringent measures should be taken by collective action committees and organisations in every State at different levels since getting any justice from a court is just a mockery. Justice delayed is justice denied. We all are aware of this. Besides denying justice, it still carries on. The women are subjected to harassment and shattering experience. They have no way out. The evil, the depraved, the molesters and the rapists should get severe punishment—they should not be allowed to get away. They deserve severe punishment—so that they cannot get away only to come back for more pleasure and beastly satisfaction to their appetite.

I appeal to you to inflict punishment on such depraved men and do away with the anti-women-slant social structure which is hostile and is bringing down the dignity and honour of women.

4.00 P. M.

नारी को अभागन कहा जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नारी अभागन नहीं है, नारी वीरमणि है, नारी शक्ति है। इसलिए नारी को उचित सम्मान मिलना चाहिए।

"Nari" has to be given that status and dignity which she richly deserves.

With these words, Sir, I thank you for allowing me to make my maiden speech, and I support the Resolution moved by Shri Viren Shah. Thank you, Sir.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): I wish you had also mentioned about what the ill-effects are of television and cinema on the kind of things happening.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Smt. Malti Sharma.

श्रीमती मालती शर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य श्री वीरेन जे. शाह जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बहनों पर होने वाले अत्याचार का विषय आज सदन के सामने रखा।

महोदय, जैसे तो नारी के ऊपर होने वाले अत्याचारों की कितने बहुत तरह की हैं और समय-समय पर इस सदन के सामने ऐसे अत्याचारों की कहानियाँ आ भी चुकी होंगी और आती रहती हैं, मेरी बहनें भी उस पर बोली हैं और मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार के मंत्रियों का जो स्वभाव है उत्तर देने का, जिस प्रकार से उत्तर आते हैं, उन सब की स्थिति के बारे में आप भी परिचित होंगे और मैं भी परिचित हूँ। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि नारी पर एक तरह के अत्याचार नहीं, तरह-तरह के अत्याचार होते हैं और उन तरह-तरह के अत्याचारों के बारे में कहना चाहूँगी कि कोई न कोई बहाना ढूँढा जाता है। उदाहरण के लिए हमारी संस्कृति में तरह-तरह के उदाहरण दिए गए हैं। आज मुबह ही हमारे भाई सरदार जी ने एक वाक्य कहा था —

यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता

लेकिन मैं इसी के साथ दूसरा वाक्य जोड़ना चाहती हूँ जो हमारी ही संस्कृति के एक ग्रंथ का है —

ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी।

ये सब ताड़न के अधिकारी ॥

महोदय, मुझे तो लगता है कि वह प्रथम पंक्ति हमारे लिए केवल लिखने के लिए रह गई, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वह हमारे साथ व्यवहार करने के लिये बनाई गई है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बात के उदाहरण हमारे सामने है कि महाभारत में जूआ खेलने बैठ गया युधिष्ठिर और नग्न की जा रही है, द्रौपदी। इलाहवाद के एक गांव में लड़ाई हुई बेटे से और नंगा घुमाया गया उसकी माँ को। सहारनपुर में लड़ाई हुई बेटे से और नग्न किया गया महिला को। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन चीजों को आप महिलाओं के लिए कानून बना कर उनको न्याय दिला पायेंगे? मैं आपके सामने अपनी अदालतों की बात अन्त में रखूंगी, लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे केसों में जिस गांव में महिला को नंगा घुमाया गया उस गांव का पौरुष मर गया था? किस प्रकार से वह देखते रह गये? पुत्र कोई लड़ाई लड़ रहा था, तो उसकी माँ को नंगा करके घुमाये जाने का क्या मतलब है? कानून की दृष्टि में उस दृश्य को देखने वाले अगर वहाँ नारी के साथ खड़े रह तो वह भी उतने ही दोषी हैं, जितने कि उसको नग्न करने वाले हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिला कचहरी में महिला को निर्वासन दिया जाए और कचहरी तमाशा देखती रहे तो क्या महिला खिलौना बन गई है? महिला के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रह गई है? इस लिए मेरी मांग है कि नारी के साथ इस प्रकार की जो दशा हो रही है, उसके लिये भी कोई सख्त से सख्त सजा होनी चाहिये, सख्त से सख्त कानून बनना चाहिये।

महोदय, अदालत के विषय में दो विषय मेरे पास हैं, जिनमें बताया गया है कि नारी की क्या दशा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ महिला आयोग बने हैं, न्यायालय बने हैं, कितने केसेज हैं, जो महिला आयोग तक पहुंच पायेंगे कितने केसेज हैं, जो न्यायालय तक पहुंचे हैं? सरकार के अंकों में मैं फंसना नहीं चाहती हूँ। मैं कहूंगी कि बलात्कार के केसेज एक हजार हैं, लेकिन सरकार के आंकड़े ऐसे हैं कि 800 हुए हैं।

पैंग संख्या में नहीं जाना चाहती हूँ। थर संख्या की बात कहूँ तो उत्तर प्रदेश में तीन चार महीनों के समय में 465 बलात्कार के केसेज हुए। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है। महोदय, हमें छोड़ दीजिये, हम बर्बात कर लेंगे, हमें जला दिया जाय, हम बर्बात कर लेंगे, लेकिन हमें नग्न करके घुमाया जाये, हमारे ऊपर बलात्कार किया जाय, यह नारी को असहनीय होगा; यह चीज उसे बर्बात नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी यह संस्कृति कहां चली गयी, जब न शकल देखी न सूरत और एक कच्चा धागा भिजवाया करुणावती ने और उसकी रक्षा करने के लिये हुमायूँ नलवार लेकर आ गया। यह श्री नारी की स्थिति। कितना सत्कार था, कितना सम्मान था। आज भी बहन खड़ी होकर इन्तजार करती है, अगर भाई ब आया, राखी लेकर बैठी रहती है। भाई राखी बंधवाकर उसकी सुरक्षा की गारन्टी करता है। लेकिन यह तमाशा बन गया है। किस प्रकार से नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है, तो उसे छोड़ दो, दूसरी शादी करा लो। यह भी एक प्रकार से अत्याचार है। मुझे सौभाग्य से ऐसी बस्ती में रहने का अवसर मिल रहा है जहां मुस्लिम बहनें हैं। मैंने उनके यहाँ के रीति-रिवाज नजदीक से देखे हैं। वहां 11 रूपये के छुआरे मंगाये और निकाह हो गया। लेकिन वहां भी आज यह स्थिति बन गयी है कि दहेज के लिये लड़कियों को जलाया जा रहा है। सारे समाज की मानसिकता को यह एक घुन लग गया है और यह स्थिति बनती चली जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ समाज के इन सब भाइयों से, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों से कि क्या आज नारी सुरक्षित है? उन्नाव जिल में एक महिला नाम के टाइम मौच जा रही थी—महोदया जो प्राकृतिक क्रियायें हैं, उनका कोई निश्चित समय नहीं होता। यह कोई

(श्रीमती मालती शर्मा)

दफ्तर तो है नहीं कि 10 से 5 बजे तक लगेंगा और उसके बाद उठ जायेगा। प्राकृतिक क्रियाओं के लिये किसी भी समय जाना पड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें, 47 साल की आजादी के बाद भी, अनेक फाइव इयर प्लान बनने के बाद भी इसके लिये उन्हें कोई सुविधा नहीं है। ग्रामीण विकास का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ भारत सरकार के मंत्रियों से कि क्या आज तक विकास के किसी कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में शौच आदि जाने के लिये स्त्रियों को कोई सुरक्षित स्थान दिया गया है? मैंने अपन जिले के क्लेक्टर से कहा कि मेरे पास एक सस्ती योजना है, आप उसको क्रियान्वित करवा दो। ग्राम सभा के पास जमीन पड़ी रहती है। आप कोई जगह लेकर उसके चारों तरफ चार-दीवारी करवा दो और उस चार-दीवारी के अन्दर नल लगवा दो ताकि महिलाओं को प्राकृतिक क्रियाओं के लिये एक सुरक्षित स्थान मिल जाये। लेकिन कोई भी ऐसी योजना पिछली इतनी फाइव इयर प्लान जो बने हैं, उनमें महिलाओं के लिये बनी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में 13 साल के बाद लड़की की क्या दशा होती है, किस तरह से वह अपनी जीवन व्यतीत करती होगी? मैं यहां के सम्मानित सदस्यों, भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि जिन-जिन क्षेत्रों से आप आते हैं आप वहां के ग्रामीण इलाकों का सर्वेक्षण करिये तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। यहां पर जब डिसक्शन होता है और मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जिस क्षेत्र से आप आये हैं जरा उस क्षेत्र में पीछे की तरफ निगाह डालें और देखें कि इन 47 सालों में, आजादी के बाद भी ग्रामीण महिलाओं की क्या स्थिति है। ये महिलायें अगर घास काटने जाती हैं तो जो पुरुष हैं वे उनकी नजर का शिकार बनती हैं। पीपली गांव जो लखनऊ जिले में है, यह बहुत दूर-सुदूर गांव है। बड़ी धूल छानने के बाद मैं वहां गयी। वहां पर एक महिला के साथ तीन लोगों

ने बलात्कार किया। क्या होता है कि बलात्कारी उसके बाद घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब उस स्त्री का पुरुष रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो वहां का दरोगा रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। तो इस तरह की चीजें हैं।

महोदय, मैं आपके न्यायालय द्वारा दी हुई रूलिंग और उनके निर्णयों के बारे में कहना चाहूंगी। मैं यहां पर उन निर्णयों का उद्धरण नहीं दे सकती। एक नौ वर्ष की बालिका के ऊपर जब 21 साल का युवक बलात्कार करता है दिल्ली के अंदर, तो न्यायालय कहता है कि हमें इसका कोई सबूत नहीं मिला, 21 साल का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगी अगर अदालतें ऐसा निर्णय देंगी तो इन अदालतों का क्या होगा; कचहरियों में लोग क्यों जायेंगे, वहां जाकर हमारी बहनों को ह्यूमिलियेशन के सिवाय क्या मिलेगा? मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इसकी तह में जायें। मध्य प्रदेश में मनोरमा कामले के कांड को, मैं समझती हूँ अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। मनोरमा कामले एक झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली महिला थी और उसका पति रिक्शा चलाने वाला है। उस झुग्गी में रहने वाली महिला का रिक्शा चलाने के काम से गुजारा नहीं हुआ तो उसने किसी के घर में चूल्हा, चौका और सफाई का काम शुरू कर दिया। जिसके घर काम किया वह लांघर है। जरी पटवा पुलिस स्टेशन में यह गांव पड़ता है। मनोरमा कामले जिसके यहां काम करती थी वह शाम देवानी, वकील परिवार, भाई वकील, बाप वकील, न्यायालयों में उनका संबंध, न्यायालयों के न्यायाधीशों को लाकर अपने यहां अंगर का रस पिलाना, उनके साथ रंग-रेलियां मनाता यह सब काम वहां होते थे। उस घर में यह जो घरेलू नौकरानी थी उसके साथ बलात्कार किया सब लोगों ने। जब वह जान से मर गई, उसके प्राण निकल गये तो उसके बाद उसको कपड़े पहना कर उसको एक मैलेरी में ले जाकर कूलर का करण्ट लगा दिया। उसके बाद तुरन्त जरी पटवा थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह कहा गया कि कूलर के करण्ट से इसकी मृत्यु हुई है। उसको तुरन्त अस्पताल ले जाया गया। वहां डाक्टर ललवानी जो शाम देवानी परिवार का खानदानी डाक्टर था, चहेता था

उनसे उसकी डाक्टरी जांच करवाना चाहते थे। दूसरे सब डाक्टरों को सन्देह हुआ कि जो डाक्टर आन ड्यूटी है उससे डाक्टरी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है, इसी डाक्टर से क्यों करवाई जा रही है। इसी बात पर उनको सन्देह हुआ। उन्होंने वहां के लोगों को ग्रीर उस महिला के खानदान वालों को फोन किया। तमाम पब्लिक आ गई। आने के बाद जो आन ड्यूटी था डाक्टर उसने उसकी जांच पड़ताल की। उसका पोस्ट मार्टम हुआ। पोस्ट मार्टम से यह मालूम हुआ कि करण्ट लगने से महिला की मृत्यु नहीं हुई। इस महिला की मृत्यु बलात्कार से हुई। यह सिद्ध हो गया कि बलात्कारियों ने जल्दी में उसको उलटा पेंटीकोट पहना दिया था और जो धर से धोती पहन कर आई थी वह उसके तन पर नहीं थी। उसको दूसरी पहना दी गई थी। किस न्यायालय में जाए, कौन से न्यायालय में जाकर न्याय मिलेगा? अनेको हमारी पदाभिनी बहनें, मुद्दर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं किस अदालत में जा सकती हैं? इन कांडों का कोई ठिकाना नहीं रह गया। लखनऊ में चिनहट के पास दोहरा गांव में एक 13 वर्ष की बच्ची ने मां से रोटी मांगी, उसने कहा मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी दे दो। मां ने कहा खेत से जाकर टमाटर तोड़ ला। सब्जी भी बना दूंगी और रोटी भी दे दूंगी। टमाटर तोड़ने गई। टमाटर तोड़ कर ला रही थी, तो बीच में ही कुछ लोग उसको खींच कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार, करके उसका गला घोट कर मार दिया गया। मैंने स्वयं जाकर ये दोनों केस देखे हैं। मैं दोहरा गांव में गई। उसकी मां का बिलखना नहीं देखा जाता था। मां कहती थीं कि आज मेरी बच्ची भूखी चली गई। न वह भूखी होती और न इस तरह से मैं खेत भेजती और न मेरी बच्ची का प्राणांत होता। यह स्थिति बनी हुई है।

मैं ज्यादा लम्बा न बोलते हुए कुछ मांग रखना चाहती हूँ। भारत सरकार के एक-आध मंत्री अगर यहां बैठें तो मेरी आवाज अपनी पूरी कैबिनेट

तक पहुंचा दें। मैं तो केवल यह कहना चाहती हूँ कि आप इन चीजों की जड़ में जाइये, जहां से यह बुराई जन्म ले रही है। यह बुराई कहां से जन्म ले रही है? बहन सुषमा ने कल टेलीविजन का खाका खींचा था। मनोरंजन किया जा रहा है। उस मनोरंजन के लिए महिलायें शहीद ही रही हैं। हर तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मांग करूंगी, भारत सरकार के मंत्रियों से कि मेहरबानी करके आप अध्यादेश जारी करते हैं, आप संविधान में संशोधन करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस टेलीविजन के लिये ऐसा संशोधन कर दीजिए—जिससे इस सारी खुराफात पर रोक लगे। ये जितने कांड हो रहे हैं, ये सब जो हमारी संस्कृति में सभायी हुई चीजें हैं, हमारी आत्मा में सभायी हुई चीजें हैं, उन सब से दूर ले जाकर पारम्पर्य सभ्यता में जो ढकेला जा रहा है—उन पर रोक लग जाये। दूसरी मेरी मांग यह है कि मैं केवल वीरेन शाह जी ने जितनी मांगे रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि यह जो ठर्रा पिना-पिला कर होटलों में, पांच सितारा होटलों में अंगूर का जूस पिलाया जाता है, कैबरे डांस होते हैं, सरकार उसके बारे में क्या सोचती है? जहां से हमारी संस्कृति जन्म लेती है, उसके बारे में आपकी सरकार क्या सोचती है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि शहरों तक ये ठेके मौजूद थे। उसके बाद सड़कों पर आ गये और सड़कों पर कहां आये, जहां बस स्टाप थे। जीओ और पिओ ठंडी बीयर, रंगीन बीयर ऐसे बोर्ड लगे हैं, शर्म नहीं आती। पहले कभी कोई पीता था तो समाज उसका मुंह काला कर करके किसी कोने में डाल देता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीजें इस बात को जन्म दे रही हैं। अब तो ये ठेके पहले तो ग्राम पंचायत स्तर तक ले गये और फिर पंचायत स्तर से ग्राम स्तर तक लेकर जा रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि मेरे ही जिले में एक गांव है वहां की औरतें दोलिय में भर कर मेरे पास आयीं। उन्होंने कह

[श्रीमती मानवी शर्मा]

यह हालत पीने वालों ने कर दी। न वह बहनों को देखते हैं, न बेटियों को देखते हैं, बस यह हालत कर दी है कि बहन बेटियों का घर से बाहर शौच आदि के लिये जाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने कहा आप इस ठेके को हटाइये। मैंने काफी लड़ाई लड़ी। ठेका हटवाया। लेकिन जो पीने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से यह चीज आई कि यह तो कच्ची विकती है। अधिकारी मजदूर हो कर कहने लगे कि यह कच्ची विकती है, तो कहीं ऐसा न हो कि उसको पीकर कोई मर जाये। हम तो कर्लकित होंगे, हमारे ऊपर एक्शन होगा। इसलिये यह कहा कि इस कच्ची से तो सच्ची का ठेका चलने दीजिये। और वह ठेका बरकरार है। हमें इनकी जड़, इनकी तह टटोलनी होगी। इसमें कानून के साथ-साथ समाज की संस्कृति बदलनी होगी।

सड़की के साथ जो महिला आयोग बना, उसके सामने कितने फीसदी केस आये। आज आंकड़े उठा कर देख लीजिये, मैं उन आंकड़े के भ्रमजाल में फंसाना नहीं चाहती। जहां देखिए नारी का नग्न प्रदर्शन है, चाहे वह चलचित्र है, चाहे आपका टेलीविजन हों, जी०टी०वी० हों, इन चीजों को बढ़ावा दे ही रहे हैं। टेलीविजन में भी आपने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया है। इसके साथ मैं आप से कहना चाहती हूँ, कि आप जरा देखिए जो भी एडवर्टीजमेंट होता है, चाहे तौलिये का एडवर्टीजमेंट होता है, या आपके साबून का एडवर्टीजमेंट, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है, पुरुषों में संबंधित चीजों पर भी क्या होता है, कि उनके एडवर्टीजमेंट के लिए भी महिलायें ही चाहिए मेरी यह प्रार्थना है कि भारत सरकार के जल्दी तब मेरी यह आवाज पहुंचा दीजिए। इन तीन बातों पर यदि रोक लग जाएगी तो इस देश की संस्कृति बदलेगी। यह नारी पूजते, तत्र नमस्ते देवता। उसको देवी। मानकर देश के नागरिक पूजते आए हैं। इस देश की नारी भी अपनी परम्परा

से पीछे नहीं हटी। यह भी कहती है तुम्ही मेथे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे देवता। इनने पुरुष को देवता माना है, भाई माना है, बाप माना है, पुत्र माना है, पति माना है तो एक ही को माना है। और उसको पति मानकर उसके चरणों की पूजा की है। नारी आज भी उसी संस्कृति से बंधी हुई है लेकिन सँहरवानी करके आप भाई हैं तो भाई का रिस्ता हम से रखिए। दूसरा रिस्ता हम से मत जोड़िए। इस तरह से अत्याचार तभी बंद हो सकेंगे जब इन चीजों पर अमल करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

श्रीमती उमिजा चिमनभाई पटेल
(गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं भाई वीरेन शाह की को यह प्रस्ताव लाने के लिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में जो अन्याय, अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई, जागृति लाए। स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं वे शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं। इस समाज में क्या हो रहा है आप सब को पूरी जानकारी है। रोज समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आते रहते हैं कि कहीं महिला को आत्महत्या करनी पड़ी, कहीं महिला को जिंदा जला दिया गया और कहीं महिला के साथ बलात्कार किया गया, कहीं उसे अपने घर से निकाल दिया गया, कहीं उसके ऊपर मार-पीट की गई, असंख्य तरीके के अत्याचार महिलाओं पर होते ही रहते हैं। मैं यह बताना चाहती हूँ कि इसके मूल में हमारी सोसायटी में डबल स्टेण्डर्ड है स्त्री और पुरुष के प्रति, ये ही जिम्मेदार हैं। मनु स्मृति के समय से यह डबल स्टेण्डर्ड बल्कि इससे पहले से चला आया है। लेकिन इस मनुस्मृति में दिया हुआ है—मातृ देवो भव। यानी स्त्रियों को एक जगह पर बैठा कर उसकी पूजा करने थे पुरुष लोग। और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवहार में न "स्त्री स्वतंत्र्य सहति", स्त्री को स्वतंत्रता का कोई अधिकार ही नहीं है। उनका अपना अलग व्यक्तित्व भी नहीं है।

यह अलग से जी नहीं सकती है। हमेशा पुरुष की आश्रित रहने के लिए ही उसका सृजन हुआ है। यह बात है। यही मनुस्मृति में बताया गया है। हमारे समाज में हर एक रीति रिवाज में हम डबल स्टैण्डर्ड रखते हैं। पुरुष के लिए जो बात सामान्य है, स्त्री के लिए वही बात दूसरी बात की तरह सीधी जाती है। अभी तो कायदा है कि एक पुरुष को एक ही स्त्री होनी चाहिए। लेकिन एक शादी करते हैं और 2-3 रखे रखते हैं। उसको कोई नहीं बोलता है। अगर एक स्त्री के ऊपर बलात्कार से कुछ कर दिया गया तो उसके चरित्र पर शंका होती है। पति उसको दूसरे दिन निकाल देता है। क्या स्त्री कभी पति से पूछ सकती है कि आप दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। कहा है ऐसा एक भी इक्वायल हमारे देश में हमारे समाज में जिसमें हमने देखा ही कि पुरुष को घर से निकाल दिया जाए। इसी पत्नी जिन्दगी अपने कुटुम्ब और अपने पति के लिए, पति के परिवार के लिए, बच्चों के लिए गुजार देती है; स्त्री को इसके बदले में क्या मिलता है। उसकी मार-पीट मिलती है। उसको अपमानित किया जाता है। उसको घर से निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर कही कहीं कलंक लगाए जाते हैं। यह हमारी तोजाइटी का डबल स्टैण्डर्ड है। हमारे समाज में स्त्री को सेकेंडरी सिटीजन का ही दर्जा है। अगर उसकी सिटीजन ही न माना जाए, ऐसा कहे तो भी चलत नहीं होगा। हर एक बात में स्त्री को टेकन फार ग्रंटेड लेते हैं। उसकी सम्मति मान ही ली जाती है। स्त्री को शादी करनी है तो मान ही लिया जाता है कि उसकी सम्मति है। उनके माता पिता पूछते नहीं हैं। अपने घर में पति भी मानकर चलता है कि मैंने जो किया है पत्नी उसके विषय के साथ ही

जूड़ी हुई होगी। हर एक स्तर पर फैमिली में या फैमिली के बाहर महिला की स्वीकृति मानी जाती है और पुरुष को ही में स्त्री की ही है ऐसा मान लिया जाये है स्त्री के ऊपर मानिकी अधिकार यह तो सहज सामान्य बात मानी जाती है। स्त्री की अपना मानिकी हक नहीं है। पुरुष उसका कभी भी उपयोग कर सकता है कभी भी उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है। अगर स्त्री ने उससे अलग कहीं भी आवाज उठाने का प्रयत्न किया तो स्त्री को अपमानित तो किया जाता है, लेकिन यह बदचलन है, खराब संस्कार की है, माता पिता ने ठीक से संस्कार नहीं दिए ऐसे भी उसे अपमानित किया जाता है। पुरुष के रिस्ते वाले उनको बदनाम करते हैं। यह उन्मोग का साधन ही मानी जाती है। कई ऐसे इगजामुल हमारे समाज में हैं। स्त्री का उपयोग करना पुरुष का अधिकार माना जाता है। आबिर बलात्कार के पीछे पुरुष की साइकलाजी क्या है। अगर पुरुष को स्त्री का उपयोग करना है और मनोरंजन की उनकी इच्छा है तो किसी भी स्त्री को उठाकर ले जाते हैं, और यज्ञ करके फेंक देते हैं। यही हमारे समाज की स्थिति है। आजकल के नोजवान भी देखें तो काजेज को अपने साथ की पढ़ाई करने वाली लडकी को उठाकर ले जाते हैं। अगर वह लडकी बोलती है कि ये तुमसे शादी करना नहीं चाहती तो उसके ऊपर बबाब डालना शुरू कर देते हैं कि मैं पसंद करता हूँ त क्योना बोलती है। क्या स्त्री को न बोलने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे तो कई प्रसंग हम देखने हैं कि जिसमें यंग एज में ही या फैमिली में ही। आफिस में ही हो तो उसको अपने बास की राजी करना है, फैमिली में स्त्री की राजी करना है, समाज के अन्य लोगों को राजी करना है स्त्री एक विनोता है जिसका कामपुरुष की कोई भी योजना हो उसको रजि करे का है। यही काम है ऐसा समाज में माना जाता है। यही कारण है कि तरह तरह के अत्याचार हमारी स्त्रियों पर होते हैं। जब पुरुष से यह बात करते हैं तो पुरुष ज्यादातर ऐसी कम्प्लेंट करते हैं या तो अपना बयान इस तरह में करते हैं कि

[श्रीमती उमिला चिन्मई पटेल]

पुरुष स्त्री पर जितना अन्याचार करते हैं, उस पर जो अन्याय करते हैं। ...। इससे अधिक स्त्री-स्त्री पर ज्यादा अन्याय करती है। घर में उसकी सास हो या उसकी ननद हो या देवरानी या जेठानी हो तो ये ही झगड़ा करती हैं, लेकिन इसके पीछे भी जो लॉजिक हमारे समाज में है, वह यह है कि हमारी ज्यादातर स्त्रियां अनपढ़ हैं। उनमें जो जागृति होनी चाहिये, अपने अधिकारों या अपने स्टेट्स के प्रति वह जागृति नहीं है और जो रीति-रिवाज चले जाते हैं, उनको वे मानती हैं कि घर में जो बहु आई, उसके ऊपर बर्चस्व जमाना, यही उनका कर्तव्य है। यह जो हमारे समाज में रीति-रिवाजों की शिक्षा देते हैं, उस सब को बदलना खूब जरूरी है। इसकी सब से पहली जरूरत जो है, वह स्त्री शिक्षा की मानी जाती है। एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हमें रखना चाहिये। वैसे हम बालिका शिक्षा की बहुत बात करते हैं और "हरेक के लिये शिक्षा" "एजुकेशन फॉर आल" के प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम हम टाइम बाउण्ड नहीं रखते हैं, इसलिये उसका नतीजा कुछ आता नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि हरेक लड़की को पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिये और यह करने के लिये दो या तीन साल का टाइम बाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिये कि इस समय में भारत देश की एक-एक जो पढ़ने योग्य बालिका हो, उसको शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसी सुविधा हमें मिलनी चाहिये दूसरी जो जरूरत है, जब-जब ऐसी प्रॉब्लम्ज होती हैं और स्त्री को जब अन्याचार का बोझ झेलना होता है, तो उसको तकलीफ और प्रॉब्लम जो होती है, वह आर्थिक परावलंबन की होती है। स्त्री हमारे समाज में पुरुष पर आश्रित है। कोई भी पोजिशन में हो, चाहे वह बालिका के स्वरूप में हो, पत्नी के स्वरूप में हो और माता के स्वरूप में हो, हमारे यहां पुरुष पर आश्रित रह कर ही उसका अपना भरण-पोषण करना पड़ता है। जब तक स्त्री को आर्थिक स्वातन्त्र्य नहीं मिलेगी तब तक यह कण्डीशन

में कोई फेर-बदल होने वाला नहीं है। आप लोग, हमारे यहां हम महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के कई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम गांवों में, देहातों में जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास की 50 वर्ष की पिछड़ी हुई महिलायें हैं, वहां तक ये प्रोग्राम कभी पहुंचते नहीं हैं और ये प्रोग्राम के द्वारा जो बहन को पूरे दिन काम करके मिलता है, वह जो उनको राशि मिलती है उसे हम देखें, तो दिन में 10 रुपया या 15 रुपया जितनी मिलती है, इस जमाने में में स्वावलंबी बनने के लिये वह रकम काफी नहीं होती है। 6, 7, 8 घंटे तक महिला काम करे और उसको पूरा वेतन नहीं मिले, तो ऐसे स्वावलम्बन की योजनाओं का कोई अर्थ नहीं रहता है। जहां वह महिला मजदूरी करने जाती है, या कहीं काम करने जाती है तो हम देखते हैं कि पुरुष को जो तनख्वाह मिलती है, महिला को उससे बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। तो यह भी डबल स्टैंडर्ड हमारे समाज में है कि काम स्त्री के पास से पूरा लेना और उसको जो बदला देना, तो वह उसको कम देना। शिक्षण जगत में मैं जानती हूँ कि कई महिलायें, शिक्षिकायें और प्राथमिकशाला की या बाल मन्दिरों की शिक्षिकायें हैं, उसमें ज्यादातर महिलायें पसन्द की जाती हैं। क्यों पसन्द की जाती हैं कि वी.ए. वी.एड. होकर भी उनको 400, 500 के वेतन पर लेते हैं और साइन पूरे वेतन पर करवा लेते हैं। तो यह अन्याय हमारे समाज में महिलाओं के प्रति आर्थिक क्षेत्र में भी हो रहे है। यह सुरक्षा करना भी जरूरी है।

इसके बारे में स्त्री को स्वावलम्बी बनाने के लिये मेरे दो सुझाव हैं। एक तो महिलायें हमारे समाज में अपने घर, अपने बच्चों को भी संभालती हैं और इसके साथ-साथ आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करना है, तो इसके लिये हमें पार्ट टाइम जाब्स की सुविधा हमारी समाज में करनी चाहिये, जिससे कि 4-5 घंटे काम करके स्त्री अपना आर्थिक वहन कर सकती है। इससे साथ-साथ मैं यह सुझाव भी दूंगी कि सरकारी

और गैर सरकारी किसी भी क्षेत्र में स्त्रियों के लिये 25 टका आरक्षण रखना चाहिये, जिससे स्त्री अपना रोजगार प्राप्त कर सके और यह बहुत जरूरी है।

श्रीमती बीणा वर्मा : (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूँ कि इस बहुत ही गंभीर विषय पर माननीय शाह जी प्रस्ताव लाए हैं। इस प्रस्ताव पर कई मप्ताह तक हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसी सप्ताह में ही नहीं, अगले सत्र में भी यह प्रस्ताव चलता रहे, यह मैं आपसे गुजारिश करूंगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, I support Smt. Veena Verma's plea.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा)
क्या दूसरे सदस्यों की भी यही राय है ?

श्रीमती बीणा वर्मा : महोदया, इस बहुत गंभीर विषय पर हम सभी को विस्तार से बोलने के लिए बहुत तैयारी की आवश्यकता है जिससे कि इस विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

एक माननीय सदस्य : हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री सोमप्पा आर० बोम्मई : (उड़ीसा)
अभी तो यहां महिलाओं का राज है।

श्री इकबाल सिंह : (पंजाब) मैडम, समाज में जादृति लाने के लिए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा होनी चाहिए ताकि हम देश को बता सकें। मैडम, एक तो अभी एजुकेशन के बारे में माननीय सदस्या बता रही थीं, मैं चाहूंगा कि पापुलेशन के सर्जिकट को भी इसमें साथ-साथ लाना चाहिए और इस विषय पर बहुत चर्चा होनी चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का सपोर्ट करता हूँ।

SHRI VIREN J. SHAH: As the mover of the Resolution, I highly appreciate what Smt. Veena Verma has said. I feel very strongly, and I

have seen that every hon. Member feels very strongly, that the House should resolve that it may be carried on to the next Session and request the hon. Chairman to do so. I think this should be done so that the matter could be dealt with in full.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): A motion is to be moved in the House itself and if the House approves, then it can be done.

SHRIMATI VEENA VERMA: This Resolution can be taken up in the next Session also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): You move the motion five minutes before 5 o'clock. This Resolution can be taken up in the next Session also.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा)
पांच बजने में पांच मिनट रहे तो आप अपना मोशन मूव कीजिए।

The mover of the Resolution can move the motion and she can second it.

श्रीमती उमिलाबेन चिमनभाई पटेल
महोदया, एक और भी महत्व की बात है कि डेमोक्रेसी में जब राजकीय अधिकार दिए जाते हैं तो व्यक्ति का इम्पोर्टेन्स बढ़ता है। अभी महिलाओं को पुरुष के समान बौधानिक रूप से राजकीय अधिकार तो है, लेकिन जो डांचा हमारे समाज में है, उसके अनुसार अगर कहीं हम टिकिट मांगती हैं, तो जीत नहीं सकेंगी, इलेक्शन में अच्छा पर्फॉमेंस नहीं सकेंगी ऐसा समझकर टिकिट नहीं दिया जाता है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो जैसे स्थानीय स्वराज की संस्थाओं और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 परसेंट का आरक्षण दिया गया है, वैसे ही आरक्षण अगर राज्य सभा, लोकसभा, प्रधान-मण्डल और जो सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी में 33 परसेंट का आरक्षण दिया जाय तो स्त्री का दर्जा बढ़ाने में यह सुरक्षा बहुत काम आएगी।

[श्रीमती उर्मिलाबेन चिन्नभाई पटेल]

महोदया, मैं यह भी जरूर बताना चाहती हूँ कि यह पुरुष प्रधान समाज है और अगर पुरुष प्रधान समाज में सबसे ऊँचे दर्जे पर कोई स्त्री बैठती है तो समाज को शंका-कुशंका होती है कि वह कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी ? वह निभा सकेगी या नहीं निभा सकेगी और कितनी ही ऐसी शक्तिशाली महिलाएँ समाज में हैं जोकि शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें योग्य दर्जा नहीं दिया जाता है। क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि सभी पुरुष अच्छे व्यवहारकर्ता हैं ? क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ कि सभी पुरुष एक शरीर शक्तिशाली हैं ? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि पुरुषों से कभी गलती नहीं होती है ? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि पुरुषों में कोई कमी नहीं होती है। अगर पुरुषों में कमी होती है और निभाया जाता है और पुरुष को सभी अधिकार में प्रायः दे दी जाती है तो स्त्री भी एक मनुष्य है, उसमें भी कमियाँ हो सकती हैं। तो स्त्री और पुरुष के बीच में यह अलग व्यवहार क्यों रखा जाता है ? महोदया, हमारे समाज का जो सबसे सर्वोच्च माना-जानेवाला शिक्षित वर्ग है... जो एलाइट वर्ग है, जो सोशल या पोलिटिकल क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले वर्ग हैं, उनके मन में भी डिसक्रिमिनेशन होगा तो यह समाज में कैसे समाजिक परिवर्तन आएगा।

महोदया, इसके अलावा मैं एक और प्रश्न की तरफ भी आपका ध्यान बटाना चाहती हूँ कि स्त्रियों के जो अत्याचार के किस्से यहाँ बताए गए हैं, मेरी अपनी स्पीच में भी, इसमें ज्यादातर जो हैं, अपने गांव के जो बड़े लोग होते हैं वह भी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, पुलिस तंत्र भी प्रमोटेक्ट करती है। कानून कानून की पोथी में रहता है और स्त्रियों को जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ दिखावे की बात हो गई है। तो मेरा सन्नाह यह है कि स्त्रियों के अत्याचारों को रोकने के लिए हर एक ब्लाक में या तहसील में महिला पुलिस स्टेशन बनाया जाए और महिला सुरक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा की जाए। यह बहुत जरूरी है। वैसे महिलाओं के लिए महिला अदालत भी होनी जरूरी

है क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि न्याय तंत्र में भी बैठने वाले हैं उनको स्त्रियों के प्रति, मैं यह तो नहीं कहता चाहती कि पूर्वाग्रह होता है, फिर भी उनके जो संस्कार हैं उसमें तो वह पूरे पूरे ओब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो महिला सुरक्षा की भी जरूरत रहती है।

इसी तरह सामाजिक कार्यकर्ताओं से महिलाओं की बनी हुई महिला सुरक्षा समिति भी हर एक ब्लाक में काम करती होनी चाहिए। उसमें काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं को शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कोई राजतंत्र या कोई पार्टी पोलिटिक्स लाने की जरूरत नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है, पूरा समाज जिसके लिए क्लिप्त है। तो हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर स्त्रियों को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए, जो जरूरी है।

कई गरीब महिलाएँ हैं, जो कानूनी सहायता चाहती हैं, लेकिन हमारा कानूनी तंत्र ऐसा है, जिसमें न्याय बहुत महंगा है और न्याय मिलने में समय बहुत लगता है। तो गरीब महिलाओं को बिना मूल्य न्याय मिलना चाहिए। वैसे अभी योजना तो है बिना मूल्य कानूनी सहायता की, लेकिन इस योजना को जानकारी घर घर तक पहुंचाना है ताकि ऐसी महिलाओं को उसका लाभ मिल सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं है। न्याय भी समय पर मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। कहीं कहीं मेण्टीनेन्स के केसेस दो-दो, तीन-तीन चार-चार साल तक चलते हैं और उनका कोई निकाल नहीं होता है। जो मेण्टीनेन्स करके दिया जाता है एमाउण्ट, वह भी इतना छोटा होता है कि उसमें अपना और अपने बच्चों का निर्वाह करना बिल्कुल संभव नहीं है इस जमाने में तो इसके बारे में भी सोचा जाए। कहीं डेढ़ सौ रूपए का मेण्टीनेन्स देना क्या अर्थ रखता है ? उससे क्या करेगी महिला ? जो उसे अपने घर पर का रेंट देना है, क्या वह देगी ? क्या वह खायेगी ? क्या अपने बच्चों को वह खिलाएगी ? यह इतनी छोटी रकम है; इसको भी बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। जो

मिनिमम स्टैण्डर्ड निश्चित कि गए हैं और जब महिला वहां जाती है तो उसको मिनिमम प्रोटेक्शन मिलता है। इस जमाने में उसको क्या जरूरी है, यह बात भी ध्यान में नहीं ली जाती है। तो इसके बारे में कुछ सुधार होना जरूरी है।

जब भी स्त्रियों के उपर अत्याचार होता है तो उसके ऊपर पर्दा डालने के उसके कई पुरुष आगे आकर बाहर निकल आते हैं, अपनी पहचान का उपयोग करके यह सब समेट लेना चाहते हैं, चाहे मिलजुलकर या जैसे भी यह सब एसा ही व्यावहार सब जगह चलता है। इसके बारे में कड़कता से काम लेना जरूरी है और जो पुलिस या अधिकारी केस को ढीलाढाला बनाकर निकालने की कार्यवाही करते हैं उनके साथ भी सख्ती से काम लेना जरूरी है।

एक और बात में बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कई रीति रिवाज ऐसे हैं, जो कि बदलना बहुत जरूरी है। देहज के बारे में मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि हरेक व्यक्ति इसके बारे में जाग्रत है, लेकिन एक बात उल्लेख करना चाहती हूँ कि हमारे गुजरात में एक गांव ऐसा है, जिसमें पूरे गांव में जवान लड़कियों को वैश्या बनाया जाता है। राजस्थान में एक कम्युनिटी पूरी एसी है, . . . जिसमें हरेक युवा लड़की को, जब वह 15 साल की होती है, तो उसको वैश्यावृत्ति के काम में लगाया जाता है। अपने घर की बहु को वैश्या नहीं बनाते बहू अपने घर के बाहर से शादी करके लाते हैं, वह कुल की आबरू होती है इसलिए उनको यह काम नहीं सिखाया जाता लेकिन लड़की को यह काम करना पड़ता है। यह प्रथा आजादी के 45 साल बाद भी हमारे समाज में चल रही है, लेकिन इसके बारे में समाज में किसी को भी चिंता नहीं है। इतनी बड़ी लोक सभा, राज्य सभा या स्टेट में जो विधान सभाएं हैं, इन सबके होते हुए ऐसे रीति-रिवाज हमारे समाज में आज भी चल रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। आधुनिक जो युग है इसमें वैश्यावृत्ति का नाम बदल दिया गया है और महिलाओं को कॉल-गर्ल बनकर काम करना पड़ता है। आज आप किसी भी फाइव स्टार या फोर स्टार हीटल में जाएं तो

वहां लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और यह एक फेशन माना जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं मानी जाती। अगर पुरुष कोई काम करे तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, गलत काम करने के बाद भी वह पवित्र का पवित्र ही रहता है। लेकिन अगर स्त्री कोई ऐसा काम करे तो वह बदनाम हो जाती है और उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है। हम कुछ महिलाएं जब उस गांव में गईं तो हमारे साथ दो-चार पुरुष भी थे और वे लड़कियों को समझाने लगे कि ऐसे गलत धंधे आप क्यों कर रहे हो। तो एक लड़की, जो हिम्मत वाली थी, उसने पूछा कि हम तो यह नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ शादी कौन करेगा? आप हमारे साथ शादी करने को तैयार हैं? पुरुष चुप हो गया, लड़का कोई बात नहीं बोल सकता है। तो एसी जो गिरी हुई महिलाएं हैं, उनको हमारे समाज में कोई स्वीकार नहीं करता है। हमारा समाज ही उनको वैश्या या कॉल-गर्ल बनाने के लिए जिम्मेदार है। उनके लिए कोई योजना या कोई कार्यक्रम हमें रखना चाहिए और इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए।

अंतिम बात में यह कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारे टी. वी. में और सिनेमाओं में स्त्री का जो सैक्सी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसके साथ जो बर्ताव किया जाता है और जो बाहर के सीरियल्स आते हैं या जो बाहर के चैनल चल रहे हैं, उनमें तो खुले के खुले देहरूप सीन्स बताए जाते हैं और स्त्री का रिप्रेजेंटेशन वैसे ही किया जाता है। कहीं एडवर्टाइजमेंट में भी स्त्री की शारिरिक रूप-रेखा को विकृत ढंग से दिखाया जाता है और उसके बारे में आवाज उठानी भी बहुत जरूरी है। राज्य सभा लोक सभा और स्टेट विधान सभाओं के जितने भी हमारे साथी भाई और बहनें हैं, अगर हम सब मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन उनके सामने करें तो किसी की हिम्मत नहीं कि स्त्रियों का ऐसा देह प्रदर्शन या विकृत प्रदर्शन हो सके। तो ऐसे भी हमें कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। केवल सदन चलाना, नीति बनाना, कानून बनाना ही हमारा काम नहीं है, समाज को बनाना भी हमारा काम है और इसके बारे में भी सोचना जाए।

मैं जानती हूँ कि मैंने जहरत से ज्यादा समय लिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय ने मुझे जो टाइम दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRIMATI ILA PANDA (Orissa): Madam Vice-Chairman, I rise to support the Resolution moved by my colleague, Shri Viren J. Shah, expressing deep concern and anguish at the increasing incidents of rape, abduction and molestation of women in our country. In order to improve the status of women in our society we have to put an end to these types of tortures and exploitation of women. Mr. Shah has suggested a number of steps which should be considered to ensure the dignity of women in our society. He has laid maximum emphasis on the need to thoroughly revamp the police set-up and the legal machinery. Madam Vice-Chairman, the status of women in ancient India was very high. The ancient literatures are full of such examples when society used to respect women. But unfortunately there had been a fall in the status of women during the medieval period and there has been a further fall in their status during the present time. Though there are a number of laws which enjoin the principle of equal status to men and women in the society, unfortunately, the reality is totally different. Women are being subjected to various kinds of atrocities in the present day society. I want to point out with a deep sense of anguish that the atrocities on women start right from the time the girl child is there in her mother's womb. The sex-determination tests victimise the female children. Newspaper reports abound in news items relating to the rape of even minor girls, dowry deaths, bride-burning, prostitution, minor-girls' marriage to old men, stripping and parading of naked women on the streets and so on and so forth. Madam, India boasts of a civilisation of thousands and thousands of years. But I fail to know when the atrocities on women will come to an end.

Usually, atrocities like rape, molestation, kidnappings, etc., are committed by anti-social elements but now the recent trend of torture of women by the police is greatly disturbing. Such a trend only projects the rottenness of a vulgar and uncivilised society. The police has the most important role to play in maintaining law and order in the society and thereby making it crime-free. The judiciary has also an equally vital role to play. But, unfortunately, now the police has started behaving like criminal and anti-social elements. Sometimes the police is directly involved in the crimes against women. Sometimes the crimes are committed with the connivance of police. A report in the **Times of India** of today is just the tip of the iceberg of many such crimes against women committed throughout the length and breadth of the country. Rape, committed by the police, leading to custody death, is the most heinous of crimes committed on women.

Madam, as the country moves closer towards the panacea of economic liberalisation, no one has the time for more vital causes, especially, when they concern women. It is not as if the judiciary has its hands tied because of insufficient legislation; on the contrary, this country has a tradition of over-legislation. Laws are passed for the asking but, at the same time, enough loopholes are left for the culprits to slip through. I am reminded of an incident of rape of five Padaria women by fourteen policemen in February, 1988. The victims were offered Rs. 1,000/- to rebuild their huts which were broken by the police. This time the judgement came sooner, within a year. The policemen were acquitted. What is surprising is not that there are rapists and child-molesters in our society, but there are no effective legal deterrents to curb these tendencies. Court processes have become a mockery thanks to the inordinate delays. A court trial is a harrowing experience for women who dare to face it. What we lack is not a law to prevent crime against women, but the will to interpret it in favour of women.

The Resolution of my friend, Mr. Shah, is timely and it suggests a number of measures to curb the atrocities on women. I urge upon the Government to show the will in bringing the culprits to book and awarding heavy punishment, if at all we want a crime free society. Secondly there should be an all-women police station in each and every sub-division in the country. Thirdly, there should be at least 30 per cent of jobs reserved for women in the police force. Fourthly, heavy punishments should be given to policemen who commit such crimes. Fifthly, free legal aid should be provided to rape victims. Emphasis should be on entrusting women judges with trial of such cases.

I once again thank you, Madam for your indulgence.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा)
श्रीमती चंद्रकला पांडे। वे तो उपस्थित नहीं हैं। मायावती जी, आप बोलिए।

कुमारी मायावती (उत्तर प्रदेश) :
मैडम, आज इस सदन में जो महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है और हमारे जो भाई यह प्रस्ताव लाए हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदया, मैं ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जानना चाहती कि किस किस के जुल्म और ज्यादतियाँ महिलाओं के साथ होती हैं। मैं यह समझती हूँ कि इसके बारे में काफी डिटेल्स में मुझ से पहले ही हमारी माननीय महिला सदस्यों ने इशारा कर दिया है और हमारे भाई ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें उन्होंने काफी डिटेल्स में बताया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, सदन को यह बताना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जहाँ तक महिला उत्पीड़न का सवाल है तो उसमें जो 90 प्रतिशत महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वे वीकर सैक्शन से संबंधित होती है। वे दलित और शोषित समाज की महिलाएँ होती हैं जिनकी संख्या 90 प्रतिशत है। गरीब 10 प्रतिशत ऐसी महिलाओं का उत्पीड़न होता है

जिनका जिक्र बड़े अथवा अन्य दूसरे मामलों में किया जाता है।

तो जहाँ तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सवाल है तो वह 90 प्रतिशत जो दलित और शोषित समाज की महिलाएँ हैं, उनके साथ होता है लेकिन सदन को यह गंभीरता से सोचना होगा और खास तौर से सरकार का सोचना होगा कि जब 90 प्रतिशत दलित और शोषित समाज की महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है और यदि हम इसके कारण को ढूँढ लें तो उसका हल भी निकाला जा सकता है। तो इस देश के अंदर जब हम 90 प्रतिशत महिलाओं की बात करते हैं तो इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर जो दलित और शोषित समाज के लोग हैं, वे देहातों में रहते हैं और देहातों में जो दलित और शोषित समाज की महिलाएँ हैं, वे खेतों पर काम करती हैं और खेत उनके नहीं होते। उन खेतों के मालिक दूसरे लोग होते हैं और काम करने वाली जो महिलाएँ होती हैं वह दलित और शोषित समाज की होती हैं। तो जब वे दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाती हैं तो उनका शारीरिक तौर से शोषण किया जाता है। उनके साथ जुल्म और ज्यादतियाँ की जाती हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा, सरकार को इसके बारे में सोचना होगा कि इसका हल क्या है ?

महोदया, मैं समझती हूँ कि सरकार के पास इसका हल है लेकिन नीयत साफ नहीं है। इसके लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इसका हल बताया है। मैं समझती हूँ कि यदि सरकारी रिपोर्टों को उठाकर देखें, तो हम लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जितनी जमीन पर खेती होती, उससे दुगुनी जमीन पर जो सरकारी रिकार्ड के मुताबिक बंजर और किसी न किसी

मध्य प्रदेश खाली पड़ी हुई है। यदि वही जमीन पुलिस और शोषित समाज के लोगों को दे दी जाये, तो मैं समझती हूँ कि जो दूसरी के खेतों में महिलाओं का उत्पीड़न होता है, वह रोक सकता है।

महोदया, सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार को डर है कि दलित और शोषित समाज के लोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, रिजिजिप्रस माइनोरिटीज के लोग, यदि इनकी संख्या का हिसाब लगाया जाए, तो इनकी आवादी 100 में से 85 है। यदि इन लोगों को रोजी-रोटी के साधन मिल जाते हैं और खेती करने के लिये जमीन मिल जाती है तो आज तो ये लोग खेती करने के लिये जमीन मांग रहे हैं, कल को ये शासन और प्रशासन पर न छा जायें। तो सरकार को यह भी डर है। तो इन सब बातों की तरफ हमें देखना चाहिये। जब हम कारण बताते हैं, तो कारण का हल ढूँढना भी जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि यदि सरकार की नीयत साफ है, तो इस कारण का हल ढूँढा जा सकता है। यदि इसका हल निकाला जाये, सरकार के पास इसका हल है और यह बेहतरिण हल है, तो महिलाओं का उत्पीड़न काफी हद तक रोक सकता है। हमारी एक महिला सांसद ने बताया और उत्तर प्रदेश के कई हवाल दिए। मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं किसी भी प्रदेश में चले जाइए, दलित और शोषित समाज की महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ ज्यादा होती जा रही हैं। आज ही नहीं, मैं समझती हूँ कि यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, अपने ग्रंथों को देखें तो उनमें भी महिलाओं को जलील किया गया है। मनुस्मृति को उठाकर देखें या रामचरित मानस में तुलसीदास ने जो लिखा है—दोर, गवार, शुद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी—उस नारी को शुद्र के बराबर कहा गया है अब शुद्र का क्या दर्जा हो सकता है जो मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वह अच्छी प्रकार से जानते हैं। उत्तर

प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में लगातार अखबारों में आ रहा है महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में। मध्य प्रदेश आजकल महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर चल रहा है। मैं आप को यह बताना चाहती हूँ यह कोई नई बात नहीं है। जब बी०जे०पी० की सरकार थी और उसके बाद जब सर्वनर खल लागू हुआ तो उस मीके पर छत्तीसगढ़ इलाके में सिगनी नारायण का मेला वहाँ पर लगता है जिस में एक शैड्यूल कास्ट की महिला के साथ बलात्कार किया गया था। उस मीके पर हमारे विधायक दल के दाऊराम रत्नाकर जो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके से एम.एल.ए. चुनकर आए थे उन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ ऐजिटेशन किया। लेकिन बुख की बात यह है कि ऐजिटेशन करने वालों को जेल में डाल दिया और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उनका साथ दिया उन के घरों में जाकर दलित और शोषित समाज के लोगों को जुल्म और ज्यादती का शिकार बनाया गया। इतना ही नहीं, जो बलात्कारी थे वह सरे आम घूमते रहे।

महोदय, अभी दो तीन दिन पहले ग्वालियर जिले में मुरेना का हवाला हमारी कुछ बहनों ने दिया है। उस संदर्भ में मैं बताना चाहती हूँ कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ने बयान दिया तो यह बयान दिया कि उस शैड्यूल कास्ट की लड़की के साथ जो अन-मैरिड थी, दो बार उसके साथ बलात्कार हुआ तो उस को दो बार सुआवजा मिल जाएगा। बुख की बात है कि एक शैड्यूल कास्ट की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उस की पूति पैसे से की जाती है। मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से यह रवैया रहेगा, सरकार का ऐसा रवैया रहेगा, प्रदेश की सरकार का यही रवैया रहेगा तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कभी बंद होने वाला नहीं है। यह उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहेगा। इतना ही नहीं, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि काश्मीर के अंदर मुस्लिम महिलाओं के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। वहाँ सबर्ण हिन्दू तो आगकर आ गए,

लेकिन काश्मीर के मुसलमानों ने आतंकवादियों का मुकाबला किया और वह डटे रहे। इसलिए काश्मीरी मुस्लिम महिलाओं के साथ जो वहाँ पर डटी हुई हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? फौज और पुलिस के लोग और बड़े से बड़े अधिकारी जांच पड़ताल के बहाने उन के घरों में जाते हैं और मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ करते हैं। उन के ज्यादतियों के बारे में कई अखबारों में भी आया है। अब हिन्दू-मुसलमान के नाम पर भी महिलाओं के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। यदि हम महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में जिक्र ही करते रहें तो मैं समझती हूँ कि इसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन अंत तो सरकार के हाथ में है। यदि सरकार की नीयत साफ हो। यदि सरकार की नीयत साफ हो जाए तो मैं समझती हूँ कि सरकार के हाथ में इसका इलाज है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। कानून तो कुछ बने हुए हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है।

5-00 P.M. कानून बने हुए हैं लेकिन लागू क्यों नहीं किये जा रहे हैं? क्योंकि जो महिलाओं के ऊपर जुल्म करते हैं, अपराध करते हैं उनके रिश्तेनातेदार बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहते हैं और उनको वहाँ से संरक्षण प्राप्त होता है।

उपस्थित (श्रीमती कमला सिन्हा)
माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।
5 बज चुके हैं, आज यह पुरा नहीं हो सकेगा, इसलिए सदस्य बतायें सदन की क्या भावना है। हमारे सामने पहले के दो उदाहरण भी हैं।

April 30, 1954. There is another example, another precedent—December 10, 1984. In these two instances, the discussion on the Private Members' Resolution was carried over to the next Session on a motion for adjournment of the debate to the next Session.

SHRI VIREN J. SHAH: Madam Vice-Chairman as the mover of the Resolution,

I move that this matter may be held over to the next Session. The House may permit it and the Chairman's approval may be obtained for that purpose.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Madam, I second the proposal. (Interruptions) Take the sense of the House and then convey it to the Chairman.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, may I say something?

SHRI VIREN J. SHAH: You can take the vote, Madam. The sense of the House is clear. All sides are for it. The hon. Minister also wants it to be continued. What is the problem with Mr. Hanumanthappa? Members from all the parties are for it. The matter is non-political. It is supported by Members from all the parties. Madam Vice-Chairman, please take the sense of the House and decide.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Why do you jump for vote, Mr. Shah?

SHRI VIREN J. SHAH: Mr. Hanumanthappa, I am only asking the Chair to take the sense of the House.

SHRI MD. SALIM: If he has something to say, he may say.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I may have a different point of view. I wanted to say...

SHRI MD. SALIM: Madam, please allow him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay, Mr. Hanumanthappa, if you want to say something, you can.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: All right; I don't speak.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Mr. Hanumanthappa is upset. I do not like that. Please say what you want to say.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: You do not want me to say.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: We want.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Is it the sense of the House that this Resolution should be carried over to the next Season?

HON. MEMBERS: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Okay. This will be done.

STATEMENTS BY MINISTERS

Price policy for Raw Jute for 1994-95 season

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): The Government of India has fixed the Minimum Support Price (MSP) for TD-5 grade of raw jute in Assam for 1994-95 season at Rs. 470 per quintal. This marks an increase of Rs. 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. The corresponding Minimum Support Prices of other varieties and grades of raw jute shall be fixed by the Jute Commissioner of India, Ministry of Textiles, in the light of normal market price differentials.

The Jute Corporation of India (JCI) will undertake price support operations in raw jute as and when required. Adequate funds will be provided in time to JCI to perform its functions efficiently.

The increase in Minimum Support Price is expected to encourage the farmers to invest more in jute cultivation and raise the production/productivity of raw jute.

THE VICE-CHARMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Now, clarifications. I have some names in front of me. Mr. John F. Fernandes. Not here. Mr. Satya Prakash Malaviya. Not here. Dr. Biplab Dasgupta. Not here. Mr. N. Giri Prasad.

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, the statement made by the hon. Minister on the price for jute is highly disappointing. I say this because the increase is only Rs. 20 per quintal over the price fixed for the 1993-94 season. As everybody knows, the inflation rate is more than 10 per cent.

Even if we take it as the basis for calculation, the Government should have increased it atleast by Rs. 50. Why has the Government fixed it only at Rs. 20? Just sometime before, the Minister for Civil Supplies was saying that they were increasing the price of agricultural produce at the rate of Rs. 55, but it seems this doesn't apply to raw jute. In my State, of course, there is a small area in the north coastal districts like Srikakulam where jute is grown but, as far as I understand, the per acre yield is very low and the price also is very low. In this background, in order to help the jute growers, the Government must come forward to increase it at least by Rs. 50. Otherwise it will not be remunerative.

Madam, you please see the last paragraph of the statement: "The increase in Minimum Support Price is expected to encourage the farmers to invest more in jute cultivation and raise the production/productivity of raw jute." With this meagre increase of Rs. 20, can you expect to achieve this aim of encouraging the farmers to invest more? On what basis can they invest? There should be some income to invest. There is no income. It does not give any income; it does not even neutralize the inflationary pressure. Then how can they increase the production/productivity? So I request the Minister to consider raising the price at least to that level.

I think, even after increasing the price, the Agriculture Ministry needs to consider whether it is not necessary to divert part of this cultivation to other remunerative crops. I am afraid, in spite of the best efforts being made in most of the places, jute cultivation is not proving to be remunerative. That is why they can advise or persuade the peasants, wherever they can grow alternative crops, to shift to some other crops, besides increasing the jute price a bit more.

Thank you.

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदया माननीय कृषि मंत्री ने जो अभी वक्तव्य दिया हम